

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.कमांक-36 / 2015

संस्थित दिनांक-29.09.2014

फाई.क.23450300832014

श्रीमती रसीलाबाई, उम्र 40 वर्ष, पति मिलकतराम पटले, जाति पंवार,
 निवासी-ग्राम बखारीकोना, हाल मुकाम-दलदला तहसील बैहर,
 थाना रूपझर, जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — — **आवेदिका**

// विरुद्ध //

मिलकतराम पटले, उम्र 42 वर्ष, पिता श्री पानिकराम पटले, जाति पंवार,
 निवासी-ग्राम बखारीकोना, थाना व तहसील बिरसा,
 जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — — **अनावेदक**

— — — — —

// आदेश //

(आज दिनांक-28.02.2018 को पारित)

- 1— इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित-29.09.2014 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका, अनावेदक की विवाहिता पत्नी है।
- 3— आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से जाति रीति रिवाज अनुसार वर्ष 1995 में हुआ था। विवाह के पश्चात आवेदिका, अनावेदक के घर पत्नी के रूप में निवास करने लगी थी। उभयपक्षों के दाम्पत्य संसर्ग से एक पुत्री ऊषा का जन्म हुआ था। विवाह के पश्चात आवेदिका के साथ अनावेदक शराब पीकर मारपीट कर घर से भगाने का प्रयास करता था। अनावेदक, आवेदिका से कहता था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गंवार है वह अच्छी नहीं दिखती है, आवेदिका उसके घर से चली जाए, वह आवेदिका को नहीं रखना चाहता है, वह दूसरी शादी करेगा। अनावेदक, आवेदिका के साथ हाथ मुक्के एवं लकड़ी से लगातार पिटाई करता था। अनावेदक, आवेदिका से कहता था कि वह घर में रहेगी तो जान से खत्म कर देगा, कुल्हाड़ी रखकर कई बार मारने दौड़ता था। अनावेदक ने आवेदिका को मारपीट कर तंग

कर घर से निकाल दिया था। आवेदिका विवश होकर उसके मायके ग्राम दलदला में निवास कर रही है। अनावेदक साधन संपन्न तथा खेती बाड़ी से युक्त नव जवान हष्टपुष्ट व्यक्ति है। अनावेदक की मौजा बखारीकोना में पांच एकड़ कृषि भूमि है। जिसमें करीब पचास क्विंटल धान पचास हजार रुपये की होती है। खाली समय में अनावेदक ग्राम पंचायत में भागीदार निभाकर 5-10 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित कर लेता है। अनावेदक ईंट बनाने का ठेका लेता है जिससे वह 10,000/-रुपये की आय अर्जित कर लेता है। अनावेदक, आवेदिका को प्रतिमाह 3,000/-रुपये देने के लिए सक्षम है। आवेदिका ने उसके आवेदन की प्रार्थना के अनुसार उसे भरण पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4— अनावेदक द्वारा आवेदिका के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए विशेष कथन में बताया है कि विवाह के पश्चात से ही आवेदिका ने अनावेदक के घर पर रहकर कभी भी ठीक ढंग से दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं किया था। आवेदिका अपनी इच्छा के अनुसार स्वच्छंद ढंग से जीवन जीने की आदि है। आवेदिका हमेशा ही बिना किसी कारण के मायके एवं अन्य जगह आती-जाती थी। अनावेदक, आवेदिका को दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्वों के बारे में समझाता था। इसी बीच उनकी संतान उत्पन्न हुई थी। अनावेदक, आवेदिका के व्यवहार में परिवर्तन होने की आशा करते रहा था, परंतु आवेदिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अनावेदक ने कभी भी आवेदिका से दहेज की मांग कर आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था। आवेदिका को स्वच्छंद ढंग से जीवन जीने से रोकने के कारण आवेदिका ने अनावेदक व उसकी मां के विरुद्ध झूठा दहेज प्रताड़ना का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उनका परित्याग कर आवेदिका अपनी मर्जी से मायके में निवास कर रही है। आवेदिका को अनावेदक से भरण-पोषण राशि प्राप्त करने का हक व अधिकार नहीं है। अनावेदक ने आवेदिका का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5— आवेदनपत्र के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या आवेदिका, अनावेदक की विवाहिता पत्नी है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक ने आवेदिका के भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है ?

निष्कर्ष के आधार एवं कारण:-

6— समस्त विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित हैं। साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

7— आवेदिका रसीला आ.सा.1 ने उसके मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन कर कहा है कि विवाह के कुछ दिन तक अनावेदक का व्यवहार आवेदिका के साथ ठीक था। उसके पश्चात् अनावेदक, आवेदिका के साथ शराब पीकर मारपीट कर एवं प्रताड़ित कर कहता था कि वह दूसरा विवाह करेगा। आवेदिका, अनावेदक से संबंध खराब नहीं हो, इस कारण आवेदिका ने अनावेदक की रिपोर्ट नहीं की थी। अनावेदक, आवेदिका को खाने-पीने नहीं देता था। अनावेदक के प्रताड़ित करने की बात आवेदिका ने समाज के लोगों को बताई थी, किन्तु इसके बाद भी अनावेदक नहीं सुधरा था। उसके पश्चात् अनावेदक, आवेदिका के साथ ज्यादा मारपीट करने लगा था। अनावेदक द्वारा ज्यादा मारपीट करने एवं रात्रि में आवेदिका को भगा देने के कारण आवेदिका ने अनावेदक की पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट लिखाई थी, किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। अनावेदक ईट की ठेकेदारी का भी कार्य करता है एवं अनावेदक के पास खेती-बाड़ी है। अनावेदक को 1,00,000/-रुपये की सालाना आय होती है। आवेदिका वर्तमान में उसके माता-पिता के पास मायके में एक-डेढ़ वर्ष से उसकी पुत्री के साथ रह रही है। आवेदिका की स्वयं की कोई आय नहीं है। आवेदिका उसका भरण-पोषण करने में असमर्थ है। आवेदिका को अनावेदक से भरण-पोषण के लिये 3,000/-रुपये की आवश्यकता है। प्रतिपरीक्षण में आवेदिका ने यह स्वीकार किया है कि वह मजदूरी करके अपना पेट भर लेती है। आवेदिका ने प्रतिपरीक्षण में अनावेदक के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह उसकी इच्छा से अनावेदक से अलग रह रही है। अनावेदक उसके साथ मारपीट नहीं करता था। अनावेदक की 1,00,000/-रुपये की आय नहीं है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य का महत्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं किया गया है। इस कारण साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

8— रामकिशोर आ.सा.2 ने आवेदिका की साक्ष्य के समान कथन कर बताया है कि आवेदिका जब उसके मायके ग्राम दलदला आती थी, तो अनावेदक द्वारा मारपीट करना, परेशान करना, खाने-पीने के लिए परेशान करना एवं आवेदिका को नहीं रखने के बारे में बताती थी। उक्त साक्षी अनावेदक को समझाने के लिए ग्राम बखारीकोना गया था। साक्षी के समझाने पर अनावेदक ने आवेदिका को कुछ दिन तक अच्छे से रखा था। उसके बाद

अनावेदक पुनः परेशान करने लगा था। अनावेदक ने आवेदिका को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। आवेदिका वर्तमान में उसके मायके में निवास कर रही है। अनावेदक, आवेदिका को ले जाने सामाजिक मीटिंग में आया था एवं अपने साथ ले गया था। उसके 15 दिन बाद अनावेदक ने आवेदिका को मारपीट कर घर से भगा दिया था। उसके बाद से आवेदिका मायके में रहती है। आवेदिका मजदूरी करने जाती है, उसे जो मिल जाता है, उससे अपना गुजारा कर रही है। अनावेदक व्यापार एवं खेती-बाड़ी करता है, जिससे उसे 1,00,000/-रुपये की आय होती है। आवेदिका को महिने में खाने, दवाई व कपड़े के लिए 5,000/-रुपये का खर्चा आता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आवेदिका उसके मायके में रहकर उसका भरण-पोषण कर लेती है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अनावेदक के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि अनावेदक, आवेदिका के साथ मारपीट नहीं करता था। आवेदिका उसकी ईच्छा से उसके मायके में रह रही है। साक्षी की साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में अनावेदक की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

9— सूरजलाल आ.सा.3 ने आवेदिका की साक्ष्य के समान कथन कर बताया है कि आवेदिका को अनावेदक के साथ रहते हुए दो संतानों का जन्म हुआ था, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है तथा एक जीवित है। अनावेदक द्वारा परेशान करने के कारण आवेदिका उसके मायके में रह रही है। इसके संबंध में सामाजिक बैठक की गई थी, जिसमें अनावेदक को समझाया था एवं समझाईश के बाद आवेदिका को उसके ससुराल भेज दिया था। उसके कुछ दिन बाद अनावेदक के द्वारा पुनः आवेदिका को प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल दिया था, तब से आवेदिका उसके मायके में निवास कर रही है। साक्षी को आवेदिका ने दहेज की बात को लेकर परेशान किया जाना बताया था। साक्षी को आवेदिका ने बताया था कि अनावेदक, आवेदिका से कहता था कि वह दूसरी पत्नी लाएगा, उसे आवेदिका से अच्छी मिल जाएगी कहते हुए परेशान करता था। इस कारण आवेदिका उसके मायके में निवास कर रही है। आवेदिका को भरण-पोषण में लगभग 4,000/-रुपये खर्च आ जाता है, जिसका आवेदिका स्वयं एवं उसका भाई वहन करने में सक्षम नहीं है। अनावेदक के पास खेती है, वह ईंट बनाने का ठेका लेता है, जिससे अनावेदक लगभग 15-20 हजार रुपये की आय अर्जित कर लेता है। अनावेदक, आवेदिका को 4,000/-रुपये देने में सक्षम है। आवेदिका जब से उसके मायके में निवास कर रही है, तब से अनावेदक द्वारा आवेदिका की कोई खोज-खबर नहीं ली गई है और न ही भरण-पोषण की कोई व्यवस्था की है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आवेदिका स्वयं अनावेदक का परित्याग कर अपनी मर्जी से अपने

मायके में रह रही है।

10— अनावेदक मिलकतराम अना.सा.1 ने उसके मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन कर आवेदिका की साक्ष्य का खण्डन करते हुए बताया है कि आवेदिका उसकी पत्नी है। विवाह के बाद आवेदिका ग्राम बखारीकोना में उसके घर पर दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने गई थी। लगभग एक वर्ष तक आवेदिका, अनावेदक के घर पर ठीक ढंग से रही थी। आवेदिका उसकी ईच्छा से कभी भी उसके मायके चली जाती थी। आवेदिका कभी भी अनावेदक के घर पर ठीक ढंग से नहीं रही। आवेदिका की एक पुत्री है, जो वर्तमान में साक्षी के साथ निवास करती है। आवेदिका लगभग तीन साल से उसके मायके में निवास कर रही है। आवेदिका को मायके लेने जाना पड़ता था, तब वह आती थी। अनावेदक के परिवार के प्रति आवेदिका का व्यवहार कभी अच्छा नहीं रहा। आवेदिका घर का काम नहीं करती थी, खाना नहीं बनाती थी। आवेदिका के बार-बार मायके जाने के कारण अनावेदक द्वारा तीन-चार बार जाति-पंचायत की बैठक बुलाई थी। आवेदिका ने लगभग ढाई-तीन वर्ष पूर्व साक्षी की माँ एवं साक्षी के विरुद्ध थाना बिरसा में रिपोर्ट लेख कराई थी। अनावेदक, आवेदिका को साथ रखकर जीवन-यापन करना चाहता है। अनावेदक की पुत्री विवाह योग्य है। आवेदिका के मायके में रहने के कारण अनावेदक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनावेदक मजदूरी करता है, जिससे उसकी माँ एवं पुत्री का भरण-पोषण करता है। आवेदिका कृषि कार्य करती है एवं स्वयं काम कर अपना जीवन-यापन करती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दो वर्ष से आवेदिका का खर्चा वहन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि अनावेदक के मारपीट करने के कारण आवेदिका मायके में निवास कर रही है। आवेदिका का भरण-पोषण नहीं देना पड़े, इस कारण झूठे कथन कर रहा है।

11— अंजीलाल चौधरी अना.सा.2 ने अनावेदक की साक्ष्य के समान कथन कर बताया है कि आवेदिका का अनावेदक से 20 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। अनावेदक एवं साक्षी के मकान के बीच में दो मकान हैं। विवाह के बाद आवेदिका कुछ दिन अनावेदक के घर पर रही थी। उसके बाद आवेदिका बार-बार मायके आना-जाना करती थी। आवेदिका अनेक बार अपनी मर्जी से मायके चली जाती थी। आवेदिका वर्तमान में दो साल से अपने मायके में निवास कर रही है। अनावेदक मजदूरी का कार्य करता है, उसके पास थोड़ी जमीन है। उसके घर में उसकी माँ एवं पुत्री है। साक्षी आवेदिका को लेने के लिए मीटिंग में गया था। आवेदिका को मनाकर लाए थे। आवेदिका कुछ दिन रही थी, बाद में मायके चली गई थी। आवेदिका ग्राम दलदला में क्या करती है, साक्षी को पता नहीं है एवं वह

उसके मायके में क्यों रहती है, उसकी भी साक्षी को जानकारी नहीं है। आवेदिका, अनावेदक की आपस में नहीं बनती थी। साक्षी के सामने ग्राम बखारीकोना में अनावेदक एवं आवेदिका का लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि अनावेदक का आवेदिका के प्रति शुरू से व्यवहार अच्छा नहीं था। समझाईश देने के बाद में अनावेदक में कोई परिवर्तन नहीं आया था। इस कारण पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, तब से आवेदिका उसके मायके में निवास कर रही है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि अनावेदक की पांच एकड़ भूमि नहीं होने एवं ठेकेदारी नहीं करने वाली बात वह गलत बता रहा है। अनावेदक ने आवेदिका को मारपीट कर घर से निकाल दिया है।

12— प्रतापसिंह अना.सा.3 ने अनावेदक की साक्ष्य के समान कथन कर बताया है कि अनावेदक की पुत्री उषा की उम्र 18 वर्ष है एवं अनावेदक की पुत्री उसके साथ रहती है। साक्षी ग्राम बखारीकोना का पटेल है। आवेदिका, अनावेदक के घर पर एक वर्ष तक ठीक ढंग से रही थी। आवेदिका बार-बार मायके चली जाती थी। साक्षी ने आवेदिका को कई बार समझाया था, किन्तु उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। सभी ग्रामवासी आवेदिका के मायके ग्राम दलदला में पंचायत वालों को लेकर गए थे। एक बार आवेदिका को समझाया था, किन्तु आवेदिका पुनः वापस चली गई थी। आवेदिका उसके मायके में ग्राम दलदला में निवास कर रही है। आवेदिका, अनावेदक की माँ को साथ में रखकर उसकी सेवा नहीं करना चाहती है, आवेदिका स्वयं का काम-धंधा करती है। अनावेदक खेती एवं मजदूरी कर मुश्किल से उसकी माँ एवं पुत्री का भरण-पोषण करता है। अनावेदक की इतनी आय नहीं है कि वह आवेदिका को अलग से खर्च दे सके। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अनावेदक की ग्राम बखारीकोना में खेती-बाड़ी, मकान, हाताबाड़ी है। अनावेदक खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। अनावेदक के पास एक एकड़ कृषि भूमि है। अनावेदक ग्राम पंचायत में 160/-रूपये प्रतिदिन की मजदूरी एवं अन्य जगह काम करने से 150/-रूपये प्रतिदिन कमा लेता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अनावेदक एवं आवेदिका ईंट बनाते थे, तब अनावेदक, आवेदिका के साथ मारपीट करता था। मारपीट के बारे में बताने के लिए आवेदिका दो बार इस साक्षी के पास आई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह बताया है कि अनावेदक ने आवेदिका को मारपीट कर घर से भगा दिया है। इस कारण वह ग्राम दलदला में रह रही है, जिसकी सामाजिक मीटिंग हुई थी। सामाजिक बैठक के समय आवेदिका, अनावेदक के घर गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आवेदिका वर्ष 2014 से उसके

मायके में निवास कर रही है, तब से अनावेदक ने आवेदिका को कोई खर्चा नहीं दिया है। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आवेदिका अपना भरण-पोषण करने के लिए मोहताज है।

13— कु. उषा अना.सा.4 ने अनावेदक की साक्ष्य के समान कथन कर बताया है कि आवेदिका एवं अनावेदक उसके माता-पिता हैं। जब आवेदिका उसके पिता के साथ रहती थी, तब घर में खाना बनाती थी और रहती थी। लगभग 4 वर्ष से आवेदिका उसके मायके में निवास करती है। आवेदिका की साक्षी के पिता के साथ नहीं बनती थी। आवेदिका साक्षी के पिता के साथ हमेशा झगड़ा करते रहती थी। आवेदिका मर जाउंगी कहकर उसके मायके चली गई है। साक्षी के पिता आवेदिका को लेने के लिए दो बार गए थे, लेकिन वह नहीं आई थी। आवेदिका मायके में क्यों रह रही है, इसका कारण साक्षी को पता नहीं है। साक्षी एवं उसकी दादी, उसके पिता के साथ रहती हैं एवं साक्षी के पिता ही साक्षी एवं उसकी दादी की परवरिश करते हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता खेती-बाड़ी का काम करते हैं एवं काम-धंधा करने जाते हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी माँ को 3,000/-रुपये का खर्च आता है। उक्त सभी खर्चे साक्षी के पिता वहन करते हैं। साक्षी के पिता सभी का भरण-पोषण करने में सक्षम हैं।

14— उभयपक्ष की संपूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य विवाद होने पर सामाजिक बैठक में समाज के लोगों द्वारा समझाईश देने पर आवेदिका, अनावेदक के साथ रहती थी। सूरजलाल आ.सा.3 की साक्ष्य के अनुसार अनावेदक ने आवेदिका को पुनः प्रताड़ित कर आवेदिका को दोबार उसके घर से निकाल दिया था। उभयपक्ष की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य दाम्पत्य संबंध ठीक नहीं थे। अनावेदक द्वारा आवेदिका के साथ मारपीट करने के कारण आवेदिका उसके मायके में निवास करती है। आवेदिका का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण प्रकट होता है।

15— उभयपक्ष की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अनावेदक के पास कृषि भूमि है, जिससे उसे आय प्राप्त होती है, परंतु आवेदिका ने अनावेदक की कृषि भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। आवेदिका ने उसकी मौखिक साक्ष्य से अनावेदक की कृषि भूमि से आय प्राप्त होना प्रकट किया है। अनावेदक के साक्षीगण की साक्ष्य से भी यह प्रकट है कि अनावेदक कृषि भूमि से आय प्राप्त करता है। प्रतापसिंह अना.सा.3 की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक ग्राम पंचायत में कार्य करने एवं अन्य कार्य करने से आय प्राप्त करता है। जबकि अनावेदक ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया

है कि उसके पास 3.00 एकड़ कृषि भूमि है एवं मजदूरी से 300/-रूपये प्रतिदिन कमा लेता है। अनावेदक ने उसकी आय के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अनावेदक की पुत्री उषा पटले अना.सा.4 की साक्ष्य के अनुसार आवेदिका का 3,000/-रूपये प्रतिमाह का खर्च है, जिसको साक्षी का पिता देने में सक्षम है। उभयपक्ष की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अनावेदक पर्याप्त आय प्राप्त करता है। अनावेदक अपना, आवेदिका उसकी पुत्री एवं उसकी माँ का भरण-पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है।

16— आवेदिका ने उसकी मौखिक साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित किया है कि वह अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। अनावेदक ने उसके भरण-पोषण की उपेक्षा की है और उसके भरण-पोषण से इंकार किया है। आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। पत्नी के भरण-पोषण का दायित्व पति पर होता है, किन्तु अनावेदक ने आवेदिका के साथ मारपीट कर बिना किसी कारण के आवेदिका के भरण-पोषण में उपेक्षा की है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। आवेदिका के रहन-सहन एवं वर्तमान समय की महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए आदेश किया जाता है कि अनावेदक, आवेदिका को 3,000/-रूपये प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करें तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख 12 को निरंतर अदा करता रहे। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

17— अनावेदक, आवेदिका का व्यय वहन करेगा।

18— आवेदिका को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, बालाघाट म0प्र0

सही/-

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, बालाघाट म0प्र0